न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या **66 / 2019**   अन्तर्गत धारा 88, व 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. गंगाराम पुत्र मेहराराम, 2. हीराराम पुत्र मेहराराम, जातियान – जाट, निवासीयान धारणा धोरा, बायतु भीमजी तहसील बायतु, जिला बालोतरा		1. मेहराराम पि. सोनाराम, 2. अचलाराम पि. सोनाराम, 3. मंगलाराम पि. सोनाराम, जाति जाट निवासीयान धारणा धोरा, बायतु भीमजी तहसील बायतु, जिला बालोतरा 4. तहसीलदार शिव, जिला बाडमेर

अधिवक्तागण :– 1. वादी अधिवक्ता – श्री बालाराम उपस्थित।
2. प्रतिवादी संख्या 01 अधिवक्ता हरीराम चौधरी।

–:: निर्णय ::–

वादीगण के वादपत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 संयुक्त हिन्दू परिवार से शासित है। जो पूर्व पुरूष स्व0 सोनाराम के वशंज है। जिनका वंश वृक्ष वाद पत्र में अंकित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 की संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा धोलिया पटवार मण्डल चोचरा तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर क्रमश 569 / 476 व 564 / 298 रकबा क्रमश 1.00 बीघा व 36.00 बीघा आयी हुई है तथा खसरा नम्बर 391 रकबा 190.00 बीघा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी की आई हुई है। उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण को विरासत में मिली है। वादग्रस्त आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 संयुक्त हिन्दू परिवार में जन्म लेने से उनके अधिकार जन्म से ही वादग्रस्त आराजी में निहित हो चुके है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 आपस में परस्पर पिता पुत्र है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने हिस्सा मुजब अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हिस्सा व खसरान् के कब्जा काश्त को लेकर कोई विवाद नहीं है तथा वादीगण की शादियां हो जाने से वे अपने अपने परिवार सहित वादग्रस्त आराजी में अपने हिस्से की भूमि पर अपने माता–पिता से अलग मकान बनाकर रहते है तथा बरसात के मौसम में अपने हिस्सा अनुसार काश्त करते है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम नहीं होने से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते है। इसीलिए वादीगण द्वारा उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सह खातेदारी में घोषित करवाने के अधिकारी होने से वाद खातेदारी घोषणा का पेश किया है।

वाद पंजीयन कर उसमें अंकित त[illegible]बंध में पुश्तैनी रेकर्ड का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी[illegible] वकील श्री हरीराम चौधरी के द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर उपरोक्त वादग्रस्त [illegible] में वादीगण को प्र[illegible] संख्या 1 के साथ बहक बराबर सहखातेदार घोषित [illegible] जाने को स्वीकार कर [illegible] सहमति जाहिर की है। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की ओर से उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। चुंकि वादीगण सिर्फ प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्व ही अनुतोष चाहते है। उभय पक्ष की ओर से बतौर साक्ष्य अपने बयान शपथ पत्र पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.06.02 14:13:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (एसडीओ) शिव

Scanned with OKEN Scanner

हमने वाद के तथ्यों पर उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी के खतौनी बन्दोबस्त ग्राम भूमि मौजा धोलिया पटवार मण्डल चोचरा तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर क्रमश 569/476 व 564/298 रकबा क्रमश 1.00 बीघा व 36.00 बीघा तथा खसरा नम्बर 391 रकबा 190.00 बीघा के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की पुश्तैनी एवं सहदायिकी सम्पति है। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी भूमि होने से वादीगण का उक्त भूमि पर जन्मतः हक है। वादग्रस्त आराजी पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादग्रस्त भूमि में हक हिस्सा होने की पुष्टि होती है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर खेत मौजा धोलिया पटवार मण्डल चोचरा तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर क्रमश 569/476 व 564/298 रकबा क्रमश 1.00 बीघा व 36.00 बीघा की भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 के साथ वादीगण प्रत्येक का 1/3 – 1/3 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 391 रकबा 190.00 बीघा भूमि में वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/9–1/9 हिस्सा सहखातेदार घोषित किया जाता है। उक्त निर्णय से बैंक रहन अप्रभावी रहेगा।

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.06.02 14:13:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अंतिम डिक्री पर्चा

(आदेश 20 के नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या **66/2019** अन्तर्गत धारा 88, व 188 RT Act.

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
1. गंगाराम पुत्र मेहराराम, 2. हीराराम पुत्र मेहराराम, जातियान – जाट, निवासीयान धारणा धोरा, बायतु भीमजी तहसील बायतु, जिला बालोतरा	3. मेहराराम पि. सोनाराम, 4. अचलाराम पि. सोनाराम, 5. मंगलाराम पि. सोनाराम, जाति जाट निवासीयान धारणा धोरा, बायतु भीमजी तहसील बायतु, जिला बालोतरा 6. तहसीलदार शिव, जिला बाडमेर

अधिवक्तागण :– 1. वादी अधिवक्ता – श्री बालाराम उपस्थित।
2. प्रतिवादी संख्या 01 अधिवक्ता हरीराम चौधरी।

–:: निर्णय ::–

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री बालाराम व प्रतिवादी संख्या 01 की और से अधिवक्ता श्री हरीराम चौधरी की उपस्थिति में आज तारीख 07.04.2025 को सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर खेत मौजा धोलिया पटवार मण्डल चोचरा तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर क्रमश 569/476 व 564/298 रकबा क्रमश 1.00 बीघा व 36.00 बीघा की भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 के साथ वादीगण प्रत्येक का 1/3 – 1/3 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 391 रकबा 190.00 बीघा भूमि में वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/9 – 1/9 हिस्सा का सहखातेदार घोषित किया जाता है। उक्त निर्णय से बैंक रहन अप्रभावी रहेगा।

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.06.02 14:13:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner